रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 1970/ज्येष्ठ 18, 1892
No. 107] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 1970/JYAISTHA 18, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

(CENTRAL EXCISES)

*New Delhi, the 8th June 1970*

**G.S.R. 899.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (i) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts canvas and round mesh mosquito netting, falling under sub-item I(1) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise leviable under the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969 on cotton yarn used in the manufacture of the aforesaid canvas and round mesh mosquito netting:

Provided that nothing in this notification shall apply to canvas and round mesh mosquito netting which in grey stage is manufactured in a composite mill.

*Explanation.*—For the purpose of this notification, 'composite mill' means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton twist, yarn or thread, or weaving or knitting of cotton fabrics or processing of cotton fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities.

[No. 132/70]

---

## वित्त मंत्रालय

## ( राजस्व और बीमा विभाग )

## (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून 1970

**सा० का० नि० 899.**—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद I (1) के अन्तर्गत आने वाली कैनवस और गोल छेद वाली मच्छरदानी की जाली को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52/69—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 के अधीन पूर्वोक्त कैनवस और गोल छेद वाली मच्छरदानी की जाली के विनिर्माण में प्रयुक्त सूती धागे पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के बराबर है :

परन्तु इस अधिसूचना में की कोई बात कैनवस और गोल छेद वाली मच्छरदानी की जाली को, जिसका संयुक्त मिल में कोरी अवस्था में विनिर्माण होता है, लागू नहीं होगी ।

**स्पष्टीकरण:**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "संयुक्त मिल" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो शक्ति की सहायता से बटे हुए सूत, सूत या धागे को कातने या सूती फैब्रिकों की बुनाई या संवयन या सूती फैब्रिकों को प्रसंस्कृत करने में लगा हुआ है और जिसका कम से कम ऐसे दो विनिर्माण क्रिया-कलापों में स्वत्वधारी हित है ।

[सं० 132/70]

---

**G.S.R. 900.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts flexible polyvinyl chloride and polyethylene sheeting, sheets, films and lay-flat tubings, not containing any textile materials, falling under sub-item (2) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured from artificial or synthetic resins and plastic materials falling under sub-item (1) of the aforesaid Item No. 15A on which the appropriate duty of excise or the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act 1934 (32 of 1934), as the case may be, has already been paid, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise or the additional duty under section 2A of the second mentioned Act, as the case may be, already paid.

[No. 133/70.]

B. N. RANGWANI, Under Secy.

---

**सा० का० नि० 900.**—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद-संख्या 15-क की उपमद

(2) के अन्तर्गत आने वाली नम्य पॉलिविनाइल क्लोराइड, पॉलिएथिलीन शीटिंग, शीटों, फिल्मों और ले-फ्लेट ट्यूबिंग्स को, जिन में कोई वस्त्र सामग्री नहीं है, जो पूर्वोक्त मदसंख्या 15-क की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली ऐसी कृत्रिम या संश्लिष्ट रेज़िन और प्लास्टिक सामग्रियों से विनिर्मित है जिन पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2-क के अधीन यथास्थिति समुचित उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले ही संदत्त किया जा चुका है उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 2-क के अधीन यथास्थिति पहले संदत्त किये गए उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के बराबर हैं ।

[सं० 133/70]

बी० एन० रंगवानी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1970